

Art. 158 राज्यपाल के पद के लिए शर्तें -

① संसद या विधानमण्डल का सदस्य नहीं होगा।

② राज्यपाल के पद पर रहते हुए अन्य लाभ का पद स्वीकार नहीं कर सकता।

③ राज्यपाल का वेतन = 3.50 लाख, मुफ्त आवास

④ अन्य विशेषाधिकार संसद निर्धारित करेगी।

⑤ राज्यपाल के वेतन व भत्ते कार्यकाल के दौरान कम नहीं किए जा सकते

⑥ दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल होने पर उसके वेतन का अनुपात राष्ट्रपति निर्धारित करेगा।

Art. 159 शपथ

→ HC के मुख्य न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलायी जाती है।

→ ईश्वर की शपथ लेते हुए -

संविधान व विधि का परिरक्षण

संरक्षण

प्रतिरक्षण करूँगा

तथा इसे अक्षुण्ण बनाए रखूँगा।

राज्यपाल की शक्तियाँ

कार्यकारी शक्तियाँ

विधायी शक्तियाँ

न्यायिक शक्तियाँ

वित्तीय शक्तियाँ

① कार्यकारी शक्तियाँ -

→ राज्यपाल अपनी कार्यकारी शक्तियों के निर्वहन के लिए नियम व कार्यो का बँटवारा कर सकता है।

→ मुख्यमंत्री की नियुक्ति व मंत्रिपरिषद् का गठन तथा इनकी सलाह पर -

① महाधिवक्ता

② RPSC में सदस्य व अध्यक्ष

H.W.

③ लोक आयुक्त

④ राज्य निर्वाचन आयुक्त

⑤ विश्वविद्यालय के कुलपतियों की नियुक्ति का कार्य करता है।

⑥ ^{राज्य} महिला आयोग

⑦ राज्य सूचना आयोग

⑧ राज्य मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति

→ Art. 167 राज्यपाल मुख्यमंत्री से प्रशासनिक गतिविधियों की जानकारी मांग सकता है।

→ राष्ट्रपति से राज्य में संवैधानिक आपातकाल के लिए सिफारिश कर सकता है और Art. 356 के लागू होने पर राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों का विस्तार हो जाता है।

② विधायी शक्तियाँ -

→ ^{Pow} विधानसभा का सत्र बुलाता है, सत्र समाप्त करता है, विधानसभा को भंग करता है [Art. 174]

→ ^{Right} विधानसभा में अभिभाषण करता है और सन्देश जी गैजत है [Art. 175]

→ विधानमण्डल में विशेष अभिभाषण करता है [Art. 176]

→ Art. 200 :- विधेयकों को अनुमति देता है और राष्ट्रपति को आरक्षित रखता है।

→ Art. 201

→ Art. 213 अध्यादेश :-

* विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा हो, अति महत्वपूर्ण

मुख्यमंत्री

मन्त्रालय
सभा परिषद
lower

- De Jure (विधेयन/वैधानिक/संवैधानिक मुखिया) = राज्यपाल
- De facto (तथ्येन/वास्तविक) = CM व मंत्रिपरिषद्
- 24 Jan. 1950 ई. को CM को पद सृजित किया गया।

मुन्सिब के रूप में
चुने
पार्टी अध्यक्ष द्वारा
चरते ही घोषणा

अनु. 164 विधानसभा में बहुमत दल के नेता को राज्यपाल CM के रूप में नियुक्त करेगा।

- दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए।
- * यदि नहीं हैं तो max. 6 माह तक CM के पद पर रह सकता है।
- अन्य मंत्रियों की नियुक्ति CM की सलाह पर राज्यपाल करेगा।

CM की योग्यताएँ -

- ① भारत का नागरिक होना चाहिए।
- ② आयु = 25+
- ③ विधानमण्डल का सदस्य होना चाहिए।

1993 में संवद 67 द्वारा
नहीं, CM को सिविल
रीटों पर 95+ 6

शपथ - राज्यपाल द्वारा
• पद व गोपनीयता

कार्यकाल - राज्यपाल के प्रसाद पर्यन्त (अनिश्चित)

वैतन - विधानमण्डल द्वारा निर्धारित (55,000)

मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियाँ -

मंत्रिपरिषद् के सन्दर्भ में -